...ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

...त्र संख्या :–126 / 2020
...S NO:- 2020/00246 — दायर दिनांक: 10.08.2020
...सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हेमराज पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. मायाराज पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. भंवरलाल पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. सोहनी पुत्री ओंकार जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोती पुत्र रामकुवांर जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. शोराज पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. शोजी पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. गीता पुत्री केसरा पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. रमेशी पुत्री केसरा पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. चतुर्भुज पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. रामनारायण पुत्र सुवा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. शोनारायण पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
9. रामकिशन पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
10. केलाश पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
11. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

——प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गुर्जर

प्रत्यार्थीगण के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा

निर्णय दिनांक 24.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 10 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में आवागमन का एक रास्ता नैनवां से दलेलपुरा रास्ते से फटकर खसरा संख्या 57 व भूमि खसरा संख्या 56 के बीच की मेड पर होकर निकल रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण ट्रेक्टर, बेलगाडी व अन्य कृषि यंत्र लाते ले जाते है। इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से बताया गया है इस रास्ते का प्रार्थीगण को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। यह कि राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 56 व खसरा संख्या 57 के खातेदार अतिकमण करने की कोशिश कर रास्ते को अवरूद्व करने का प्रयत्न करते है यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये ... 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में अंक... राये... प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस, तथा शपथ पत्र, बयान ... पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

...पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 7,8,9 के
...र ग्राम दलेलपुरा खसरा संख्या 53 पर एक कुआ लगा हुआ है जो कि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण का
...ती है जिस पर जाने का एक मात्र रास्ता ख.सं. 56 एवं ख.स. 52 के मध्य स्थित मेड पर निकलता है जो
...वा से दलेलपुरा जाने वाले रास्ते से ख.स. 53 पर स्थित शामलाती कुए पर जाता है तथा ख.स. 59 व 61
...ाने से पूर्व कुए पर ख.सं. 53 जाने का रास्ता आवश्यक है तथा ख.सं. 59 व 61 व ख.सं. 55 पास पास ही
...जो एक दूसरे से जुडे हुए है उक्त खसरा संख्या 54,55,59,61 खसरा संख्या 53 से जुडे हुए है इन से भी
...खसरा संख्या में एक मात्र रास्ता ख.स. 56 व 52 के मध्य की मेर से निकलता है इनके अलावा अन्य कोई रास्ता
...नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में नैनवा से दलेलपुरा रास्ते से कुए तक जाने का रास्ता सुखाचार के आधार पर पृथम
दृष्टया आवश्यक है न कि प्रार्थना पत्र में दर्शायानुसार । इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि
प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से दर्शाये गये अनुसार परिशिष्ट अ में नक्शे में रास्ता निकालने से अधिक भूमि खर्च
होगी और मुख्य रूप से कुए के रास्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह
कि अभी तक ख.सं. 56 व 57 के मध्य के मेड पर कही रास्ता नही है यहां से कोई भी खातेदारान आते जाते नहीं
है बल्कि सभी ख.सं. 54,55,56,57,58,59,61 तक के खातेदारान ख.सं. 56 व 52 के मध्य मेड पर बने रास्ते से ख.
स. 53 में लगें कुए तक आते जाते आ रहे है और इसी रास्ते से सभी खातेदारान कृषि यंत्र लाते-ले जाते है।
इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैनवां के प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 56 व 57 की बीच की मेड से होकर रास्ता चाहा गया है। यह है कि खसरा संख्या 59 व 61 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण खसरा संख्या 56 व 57 में से रास्ता दिया जाना उचित है। यह है कि खसरा संख्या 56 व 57 की बीच की मेर सीधा रास्ता देने पर रास्ता खसरा संख्या 61 में केवल एक गटठा ही रास्ता जाता है तथा एक गटठा रास्ता खसरा संख्या 55 में जाता है। अर्थात प्रार्थीगण का खेत जहां से शुरू होता है वहां खसरा संख्या 61 में केवल एक गटठा ही रास्ता जाता है। प्रस्तावित नक्शानुसार ही रास्ता दिया जाना उचित होगा। यह है कि प्रस्तावित नक्शानुसार रास्ता दिये जाने पर कंघी परकार से रकबा बरारी अनुसार खसरा सख्या 56 की एक बिस्वा व खसरा संख्या 57 की एक बिस्वा भूमि कुल दो बिस्वा भूमि रास्ते में आती है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम दलेलपुरा पटवार हल्का खेरूणा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा सं. 59 रकबा 03–12 बीघा व भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 03–08 बीघा भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा सख्या 56 की एक बिस्वा व खसरा संख्या 57 की एक बिस्वा भूमि कुल दो बिस्वा भूमि परिशिष्ट ''क'' में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की कीमत नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस
ग्राम - दलेलपुरा
तह० - नैनवाँ जिला बून्दी (राज.)

~~उपखण्ड अधिकारी~~ पैमाना - 16 बीघा मील, नैनवाँ जिला बून्दी (राज.)

परिशिष्ट "क"

क्रमांक 2018/ 412

दिनांक 24/8/17

तहसीलदार
नैनवाँ

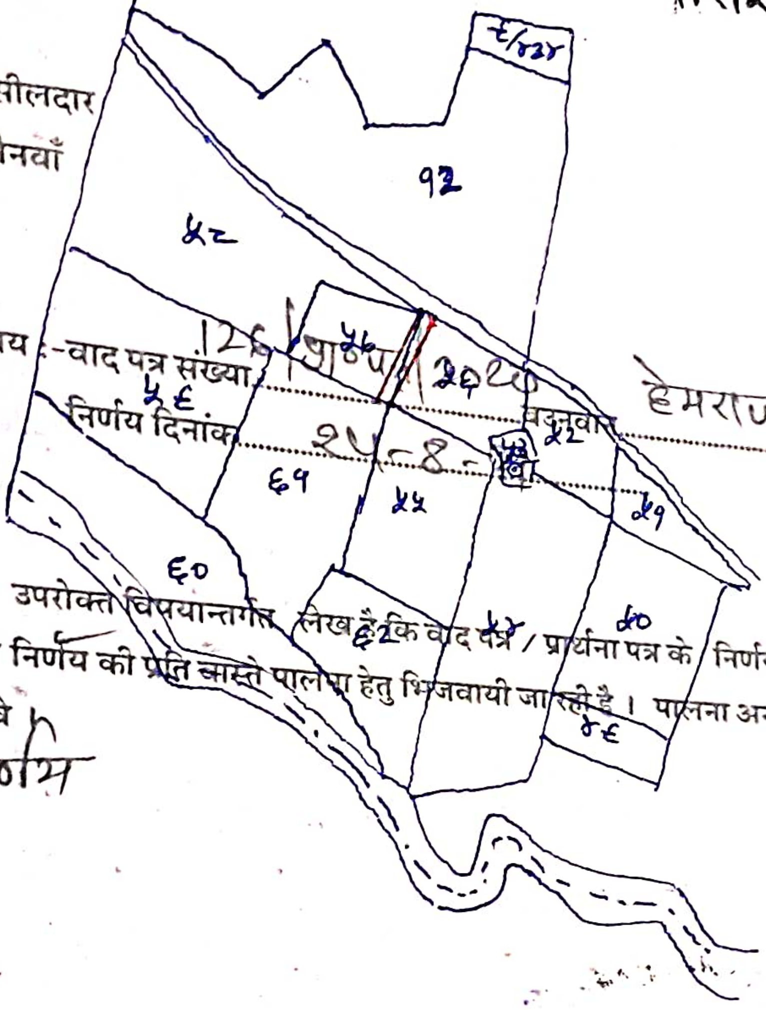

विषय :- वाद पत्र संख्या 126/धारा 251 अ 2040 बनाम हेमराज vs मोती आदि
निर्णय दिनांक 24-8-17

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक / ~~अन्तिम डिक्री~~ / निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

संकेत → || प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

पटवारी
पटवार मण्डल खेराणा
तह. नैनवां जिला बून्दी (राज.)

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी
दिनांक - 15/01/2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:35 IST
Reason: SelfAttested